नियमावली

1. संस्था का नाम - तौनल पेफ्रेशनल सोसाइटी

2. संस्था का पता - पुष्प विहार कालोनी मसानी, रोड मथुरा । उ० प्र० ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर–प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होगें – -

1संरक्षक सदस्य - जो सज्जन संस्था को 1001/-रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बन जायेगा।

2 आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/- रूपये सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का अजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

3 साधरण सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 201/- रूपये देगा अथवा २०रु माषिक देगा वह सज्जन इस संस्था का साधरण सदस्य बनाया जायेगा।

4 विशिष्ट सदस्य - ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चन्दा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यो को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी।

5. सदस्यता की समाप्ति –

1मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2.सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3.संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4.किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5.त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होनेपर ।
6.न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7.संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

6.संस्था के अंग - 1.साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिती ।

7.साधारण सभा - अ. गठन- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

..2 पर

उप निबन्धक

शखी कु० रैखा

मुकेश कुमार कु० सोनल

महावीर प्रसाद

जगदीश प्रसाद शर्मा

7-8-05

11 **संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया** – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3बहुमत से करना ।

12. **संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था** - संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाक में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. **संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)** – संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण को उत्तरदायित्व** – संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. **संस्था के अभिलेख** – 1-सदस्यता रजिस्टर 2-कार्यवाही रजिस्टर 3-एजेण्डा रजिस्टर 4-स्टाक रजिस्टर 5-कैश बुक आदि ।

16. **संस्था के विघटन** -यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा०रजि०अधि० की धारा 13-14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

7-8-05

शारदी कु० रेखा

मुकेश कुमार कु० सोनल

महावीर प्रसाद

जगदीश प्रसाद शर्मा

Vice Chairman
Sonal Educational Socity
Soni Mathura (U.P.)

Scanned with CamScanner